अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

आदेश

का0आ0सं0–प्र0–7 / विविध (कार्र०)–04–151 / 2018– 3085 (E) / पटना, दिनांक– 16/4/19

पथ निर्माण विभाग के आदेश सं0–645 (ई0) दिनांक–23.01.2019 द्वारा मेसर्स शारदा कन्सट्रक्शन (निबंधन सं0–अ0प्र0–श्रेणी–01 (प्रथम)–194 / 2008 पथ) को पथ प्रमण्डल, डिहरी ऑन सोन के अन्तर्गत CMBD योजना के तहत रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम–निमियाडीह–तिलौथू पथ का निर्माण कार्य एकरारनामा सं0–23 / CMBD / 2013–14 में पायी गयी अनियमितता के लिये बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 एवं विभागीय पत्रांक–4104 (ई0) दिनांक–28.10.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में दो वर्षो के लिए निलम्बित किया गया है।

उक्त निलम्बन आदेश के विरूद्ध मेसर्स शारदा कन्सट्रक्शन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-2398/2019 दायर किया गया। उक्त CWJC No.-2398/2019 में दिनांक–29.03.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यशील अंश निम्नवत है :–

"This Court finds that in this case the Engineer-in-Chief, Road Construction Department has acted in haste used his show cause notice of 2016 which no where contains any stipulation calling upon the petitioner to show cause as to why he should not be blacklisted, to oust the petitioner after the petitioner firm had qualified in two tenders.

The impugned order, therefore, suffers from violation of principles of natural justice as also is de hors to the provisions of blacklisting Rule under the Rules of 2007. It is also required to be categorized as one of those cases in which a Public Officer while discharging his duty has acted irresponsibly. In such a situation, this Court would quash the impugned order as contained in Annexure-8 to the writ application and allow this writ application with all the consequential reliefs and a cost of Rs. 25,000/- to be paid by the State to the petitioner within 30 days from today which the State may realize from the erring Officer in accordance with law."

कृ०पृ०उ०

उक्त आदेश के आलोक में समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश सं0–645 (ई0) सहपठित ज्ञापांक–645 (ई0) दिनांक–23.01.2019 के द्वारा संवेदक मेसर्स शारदा कन्सट्रक्शन, न्यू एरिया, महाराजगंज रोड, ग्राम+पो0–गुण्डा, जिला–औरंगाबाद (बिहार) का (निबंधन सं0–अ0प्र0–श्रेणी–01 (प्रथम)–194/2008 पथ) को दो वर्षो के लिए किये गये निलंबन आदेश को निरस्त किया जाता है।

16/4/19

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक– प्र0–7/विविध (कार्र०)–04–151/2018– 3085(E) /पटना, दिनांक 16/4/19

निबंधित

प्रतिलिपि :– मेसर्स शारदा कन्सट्रक्शन, न्यू एरिया, महाराजगंज रोड, ग्राम+पो0–कुण्डा, जिला–औरंगाबाद (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

16/4/19

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक– प्र0–7/विविध (कार्र०)–04–151/2018– 3085(E) /पटना, दिनांक 16/4/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/4/19

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक– प्र0–7/विविध (कार्र०)–04–151/2018– 3085(E) /पटना, दिनांक 16/4/19

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, OPRMC Cell, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/4/19

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक– प्र0–7/विविध (कार्र०)–04–151/2018– 3085(E) /पटना, दिनांक 16/4/19

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

16/4/19

(लक्ष्मी नारायण दास)

16/04/19